रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29032025-262119
CG-DL-E-29032025-262119

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1497] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 28, 2025/चैत्र 7, 1947
No. 1497] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 28, 2025/CHAITRA 7, 1947

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2025

का.आ. 1515(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बगदारा वन्यजीव अभयारण्य, मध्य प्रदेश के आसपास एक पारिस्तिथिकी संवेदी जोन घोषित करने के लिए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 3028(अ), तारीख 13 सितम्बर, 2017 द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई थी;

और केंद्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त अधिसूचना का संशोधन करना लोकहित में आवश्यक और समीचीन है;

और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 का उप-नियम (4) यह उपबंध करता है कि जब भी केंद्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि ऐसा करना लोकहित में है, तो इसके लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति दी जा सकती है;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि अधिसूचना संख्यांक का.आ. 3028(अ), तारीख 13 सितम्बर, 2017 का संशोधन करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति देना लोकहित में है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 3028(अ), तारीख 13 सितम्बर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना, निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, पैरा 5 और 6 के स्थान, निम्नलिखित पैरा रखें जाएंगे, अर्थात्: -

"**5. मानीटरी समिति.–** केंद्रीय सरकार एक मानीटरी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगी, अर्थात्: -

(i)	संभागीय आयुक्त संभाग, रीवा	अध्यक्ष, *पदेन*;
(ii)	जिला कलेक्टर सिंगरौली जिला	सदस्य, *पदेन*;
(iii)	अधीक्षण इंजीनियर लोक निर्माण विभाग, रीवा	सदस्य, *पदेन*;
(iv)	अधीक्षण इंजीनियर लोक स्वास्थ्य विभाग, रीवा	सदस्य, *पदेन*;
(v)	मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जिला पंचायत सिंगरौली	सदस्य, *पदेन*;
(vi)	नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग का प्रतिनिधि;	सदस्य, *पदेन*;
(vii)	प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सिंगरौली के प्रतिनिधि	सदस्य, *पदेन*;
(viii)	सिंगरौली के होटल और लॉज एसोसिएशन का एक प्रतिनिधि	सदस्य, *पदेन*;
(ix)	सदस्य, राज्य जैव विविधता बोर्ड	सदस्य, *पदेन*;
(x)	पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले गैर सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि, जिसे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर प्रत्येक तीन वर्ष में नामांकित किया जाएगा	सदस्य;
(xi)	राज्य में विश्वविद्यालय के एक प्रतिष्ठित संस्थान से पारिस्थितिकी और पर्यावरण के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ, जिसे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर प्रत्येक तीन वर्ष में नामांकित किया जाएगा	सदस्य;
(xii)	फील्ड डायरेक्टर संजय टाइगर रिजर्व जिला, सिंधी	सदस्य सचिव, *पदेन*।

6. **मानीटरी समिति के कार्य.- (1)** मानीटरी समिति, स्थल विनिर्दिष्ट वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर पैराग्राफ 4 के अधीन दी गयी सारणी में विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय उन क्रियाकलापों की संवीक्षा करेगी जो भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अधिसूचना सं. का.आ. 1533 (अ) की अनुसूची में समाविष्ट हैं और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आती हों, और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय क्लियरेंस के लिए भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण को विनिर्दिष्ट करेगी।

(2) इसके पैरा 4 की सारणी में विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, ऐसे क्रियाकलापों, जो उप-पैरा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना की अनुसूची में समाविष्ट नहीं है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर आते हैं, की छानबीन मानीटरी समिति द्वारा स्थल विनिर्दिष्ट वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर की जायेगी और इन्हें सम्बद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(3) मानीटरी समिति के सदस्य सचिव या कलेक्टर या उप वन संरक्षक इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम होंगे।

(4) मानीटरी समिति मामले-दर-मामले के आधार पर अपेक्षाओं के अनुसार अपने विचार-विमर्श में समिति की सहायता के लिए, उद्योग संघों या हितधारकों को आमंत्रित कर सकती है।

(5) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च तक की अवधि के अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट उस वर्ष के 30 जून तक राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को उपाबंध-।।। में निर्दिष्ट रूपविधान में प्रस्तुत करेगी।

(6) केंद्रीय सरकार अपने कार्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए मानीटरी समिति को लिखित रूप में ऐसे निदेश दे सकती है, जैसा वह उचित समझे।"

[फा. सं. 25/83/2015-ईएसजेड-आरई]

डॉ. सु. केरकेट्टा, वैज्ञानिक ''जी''

टिप्पणी.-मुख्य अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (ii) में विस्तृत का.आ. 3028(अ), तारीख 13 सितम्बर, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March, 2025

S.O. 1515(E).—WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, issued a notification to declare an Eco-Sensitive Zone around Bagdara Wildlife Sanctuary, Madhya Pradesh in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O.3028(E), dated the 13th September, 2017;

AND WHEREAS, the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to amend the said notification;

AND WHEREAS, sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that whenever it appears to the Central Government that it is in the public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986;

AND WHEREAS, the Central Government is of the opinion that it is in the public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for amending the notification number S.O. 3028(E), dated the 13th September, 2017;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section(3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 3028(E), dated the 13th September, 2017, namely:-

In the said notification, for paragraph 5 and 6 the following paragraphs shall be substituted, namely: -

"5. **Monitoring Committee**. - (1) The Central Government hereby constitutes a monitoring committee of the following persons, namely: -

(i)	Divisional Commissioner Division, Rewa	– Chairman, *ex officio*;
(ii)	District Collector Singrauli District	–Member, *ex officio*;
(iii)	Superintending Engineer PWD, Rewa	–Member, *ex officio*;

(iv)	Superintending Engineer Public Health Department, Rewa	– Member; *ex officio*;
(v)	Chief Executive Officer, District Panchayat Singrauli	– Member, *ex officio*;
(vi)	Representative of the Town and Country Planning Department	– Member, *ex officio*;
(vii)	Representative of the Pollution Control Board Singrauli	– Member, *ex officio*;
(viii)	A representative of the Association of Hotels and Lodges of Singrauli	– Member, *ex officio*;
(ix)	Member, State Biodiversity Board	– Member, *ex officio*;
(x)	One representative of Non Governmental Organization working in the field of environment to be nominated by the Government of Madhya Pradesh from time to time every three years	–Member;
(xi)	One expert in area of ecology and environment from a reputed institution of University in the State to be nominated by the Government of Madhya Pradesh from time to time every three years	– Member;
(xii)	Field Director Sanjay Tiger Reserve District, Sindhi	– Member Secretary, *ex officio*.

6. **Functions of Monitoring Committee.**–(1)The Monitoring Committee shall, based on the actual site-specific conditions, scrutinise the activities covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest, *vide* number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities specified in the Table under paragraph 4 thereof, and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case may be, for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(2) The activities not covered in the Schedule to the notification referred to in sub-paragraph (1) and falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the regulatory authorities concerned.

(3) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the Collector or the Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaint under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986, against any person who contravenes the provisions of this notification.

(4) The Monitoring Committee may invite a representative or expert from the Department, a representative from the industry associations or stakeholders to assist the Committee in its deliberations depending on the requirements on a case to case basis.

(5) The Monitoring Committee shall submit the action taken report of its activities annually for the period up to the 31st March of every year to the Chief Wildlife Warden by the 30th June of that year in pro forma specified in Annexure-Ill.

(6) The Central Government may give such directions in writing, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions. ”.

[F. No. 25/83/2015-ESZ/RE]

Dr. S. KERKETTA, Scientist “G”

Note.- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* S.O.3028(E), dated the 13th September, 2017.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2025.03.29 17:30:12 +05'30'